



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

मुख्यमंत्री

कन्या



उत्थान योजना



बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग



₹ 2000/-

कन्या के जन्म पर



₹ 1000/-

कन्या के 1 वर्ष
पूर्ण होने पर



₹ 2000/-

कन्या के 2 वर्ष
पूर्ण होने पर
(टीकाकरण उपरान्त)



₹ 600/-

वर्ग 1-2 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 700/-

वर्ग 3-5 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 1000/-

वर्ग 6-8 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 1500/-

वर्ग 9-12 प्रतिवर्ष
(पोशाक)



₹ 300/-

वर्ग 7-12 प्रतिवर्ष
(किशोरी स्वास्थ्य)



₹ 10,000/-

इंटरमीडियट
उत्तीर्ण करने पर
(अविवाहित)



₹ 25,000/-

स्नातक
उत्तीर्ण करने पर

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने, जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करने, 02 वर्ष की बालिकाओं को संपूर्ण टीकाकरण, लिंग अनुपात में वृद्धि, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, कुल प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" चलायी जा रही है।

योजना का लाभ उठाने एवं अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र से संपर्क करें

बिहार के सभी 544 समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित